



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-1578/JH/5/2024-APCR

दिनांक :23.01.2025

To,

1. डॉ० वाघमारे प्रसाद कृष्णा
उपायुक्त,
जिला -लोहरदगा,
प्रथम तल, कलेक्ट्रेट,
लोहरदगा, झारखंड -835302
Email Id: dc-loh@nic.in

2. श्री हारिस बिन ज़मान
पुलिस अधीक्षक,
जिला -लोहरदगा,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
लोहरदगा, झारखंड -835302
Email Id: sp-lohardaga@jhpolic.gov.in

विषय: झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले अंतर्गत जोरी गाँव में मुसलमान समुदाय के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जनजातीय समाज के पूजन स्थलों को अतिक्रमण करनेअपमानित करने के संबंध में श्री सुखनाथ उरांव/अपवित्र करने/, ग्राम प्रधान, जोरी गाँव, जिला- लोहरदगा, झारखंड, रांची एवं अन्य का संयुक्त अभ्यावेदन श्री समीर उरांव -, माननीय सांसद (राज्य सभा) के पत्र दिनांक 04.01.2024 के द्वारा प्राप्त।

संदर्भ: जिला दंडाधिकारी -सह-उपायुक्त, जिला -लोहरदगा पत्र सं - 571/रा० दिनांक 18.06.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 31.01.2025 को 11:15 A.M बजे सिटिंग /सुनवाई निर्धारित की है। याचिकाकर्ता से प्राप्त दिनांक 21.11.2024 के प्रत्युत्तर की प्रति आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड) 8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री सुखनाथ उरांव,
ग्राम प्रधान
जोरी गाँव, प्रखण्ड लोहरदगा -
जिला -लोहरदगा,
रांची (झारखंड)

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading